

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(3)कार्मिक/क-4/2018

जयपुर, दिनांक : 05-02-2019

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2018-19 में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-


क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ.)	चयन सूची में नाम का विवरण
1	संजय कुमार माथुर	श्री राजकुमार सिंह के नीचे।
2	दिनेश चन्द भार्गव	श्री भवानी सिंह पंवार के ऊपर।

निम्नांकित अधिकारियों के संबंधित वर्षों का सेवा अभिलेख (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) अभी भी पूर्ण नहीं होने के कारण इनके प्रकरण यथावत डेफर रखे जाते हैं :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ.)
1	कृष्ण कन्हैया गोयल
2	मोहन दान रत्नू
3	बलदेव प्रसाद शर्मा


उपरोक्त पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(आशीष मोदी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. ए.सी.पी. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(3)कार्मिक/क-4/2017


जयपुर, दिनांक : 05-02-2019

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में नियमित रूप से नियुक्त श्री हरिसिंह मीणा (अजजा) को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2017-18 की रिक्तियों में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्री मानसिंह मीणा (अजजा) के ऊपर जोड़ा जाता है।


श्री हरिसिंह मीणा अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(आशीष मोदी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. ए.सी.पी. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

कार्मिक (क-4) विभाग

क्रमांक : प. 4(3)कार्मिक/क-4/2016


जयपुर, दिनांक : 05-02-2019

आज्ञा

राजस्थान प्रशासनिक सेवा नियम, 1954 के नियम-32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में नियमित रूप से नियुक्त श्री नवल किशोर गुप्ता को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयन वेतन श्रृंखला वर्ष 2016-17 की रिक्तियों में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्री राजवीर सिंह यादव के नीचे तथा श्रीमती नीलिमा तक्षक के ऊपर जोड़ा जाता है।


श्री नवल किशोर गुप्ता अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा पदोन्नति पर कार्य-भार ग्रहण की रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,


(आशीष मोदी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संबंधित विभागाध्यक्ष।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. संबंधित अधिकारीगण।
11. ए.सी.पी. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
12. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव